

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक0प्र0क0-1065 / 07
संस्था0दि0 28 / 08 / 07
फाईलनं.233504000102007

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 थाना बोरदेही, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियोजन**

--: **विरुद्ध :-**

1. सुरेन्द्र पिता हरदयाल साहू, उम्र 39 वर्ष,
 2. पतिराम पिता करिया साहू, उम्र 73 वर्ष,
 3. कैलाश पिता रामकिशन साहू, उम्र 46 वर्ष,
 4. सुनिता पति मधुकर साहू, उम्र 36 वर्ष,
 5. कौशल्याबाई पति हरदयाल, उम्र 62 वर्ष,
- उक्त सभी:- जाति साहू, पेशा-कृषि, नि0ग्राम खेडलीबाजार,
 थाना बोरदेही, जिला बैतूल (म0प्र0)

----- **अभियुक्तगण**

--: **निर्णय :-**

(आज दिनांक 29 / 08 / 2016 को घोषित)

1- अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-3/4 के तहत अभियोग है कि वर्ष 2002 से दिसम्बर 2006 के दरम्यान ग्राम खेडलीबाजार में फरियादी श्रीमति रंजिता साहू, जो कि एक स्त्री है के यथास्थिति पति अथवा पति के नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुये कुरता की। आपने उक्त दहेज के रूप में 50,000/-रुपये व मोटर साईकिल फरियादी से नगदी देने की मांग की।

2- प्रकरण में आदेश पत्रिका दिनांक 22/08/16 को अभियुक्तगण और फरियादी रंजिता साहू के बीच राजीनामा होने से आपसी राजीनामा आवेदन पत्र पेश किया। अपराध राजीनामा योग्य न होने से राजीनामा आवेदन पत्र निरस्त किया गया।

3- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी छिन्दवाडा में पिता धरमचंद साहू के घर दिसम्बर से रह रही है। घरेलु कार्य करती है। उसकी शादी जाति रिति रिवाज से सुरेन्द्र साहू नि0 खेडली बाजार के साथ दिनांक 15/06/2002 को हुई थी। शादी में पिताजी ने अपनी हैसियत से सारा गृहस्थी का सामान दिया था। शादी के बाद 2 माह ससुराल में अच्छी से रही, ससुराल उसके पति के अलावा सास कौशल्या बाई एवं भान्जा नवीन साहू तथा ससुर हरदयाल साहू रहते थे उसके पति गुड का व्यापार करते है। ससुर सन् 2006 में खतम हो गये है। शादी के दो माह बाद उसकी सास कौशल्याबाई एवं ननद सुनिता दोनों ताने कसने लगी। दहेज में मोटर साईकिल नहीं दी

तथा मौसया ससुर पुरन साहू जो गावं में रहते है बोलने लगे थे कि मोटर साईकिल एवं 50,000/-रूपये मायके से लाओ नहीं तो वह सुरेन्द्र की दुसरी शादी करेगें तथा उसके पति को सास, ननद एवं मौसया ससुर उकसाने लगे तो फिर पति ने उसे मारना पीटना प्रताड़ित करना छोटी-छोटी बातों को लेकर परेशान करना चालू कर दिया। मुझे मायके 50,000/-रूपये एवं मोटर साईकिल मांग करने का कहकर परेशान करने लगे। उसके जेवर मंगलसूत्र छोड़कर रख लिये। सास ने उतार लिये रख लिये। काका ससुर पतिराम साहू एवं नंदोई कैलाश साहू भी उसे गाली गुप्तार कर परेशान कर एवं मोटर साईकिल तथा 50 हजार रूपये मांग करने के बारे में उसके पति को उकसाते थे। मारपीट करने से उसका 4 बार गर्भपात हो गया। वह उसके पिताजी धरमचंद, जिजा राधेश्याम एवं मोहल्ले के रामभरोस के साथ रिपोर्ट करने थाना आई हूँ रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जावे।

4- फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गई जो प्र0पी0 2 है, जो दो पृष्ठों में है, जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 147/07 भा.द. सं धारा- 498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-3/4 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी के द्वारा परिवार परामर्श केन्द्र को दिया गया आवेदन प्र0पी0 1 है। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया, अभियुक्तगण को गिरफ्तार गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

5- अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्तगण का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वे निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6- : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1-“क्या वर्ष 2002 से दिसम्बर 2006 के दरम्यान ग्राम खेडली बाजार में फरियादी श्रीमति रंजिता साहू जो कि एक स्त्री है के यथास्थिति पति अथवा पति के नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुये कुरता की?”

2-“ उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने उक्त दहेज के रूप में 50,000/-रूपये व मोटर साईकिल फरियादी से नगदी देने की मांग की?”

:- निष्कर्ष एवं उसके आधार :-
विचारणीय प्रश्न क0 1, 2 का निराकरण

7- सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2 का निराकरण साथ में किया जा रहा है। क्योंकि प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हों।

8- अभियोजन साक्षी रंजीता साहू (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि शादी के बाद वह अपने ससुराल खेडली बाजार चली गई शादी में उसके माता-पिता ने दहेज में सारा सामान दिया था। दहेज में सोने की चैन, सोने की अंगूठी, गोदरेज, फ़िज,

पलंग पेटी, टी.व्ही, गैस सभी सामान दिया था। उसके पति गुड का थोक व्यापार करते हैं। उसके ससुराल में उसकी सास, उसके पति उसका भांजा नवीन साहू रहता है। उसके ससुर की वर्ष 2006 में मृत्यु हो गई। शादी के बाद दो महीने तक वह अच्छे से रही उसके बाद उसकी सास कौशल्याबाई उसके पति सुरेन्द्र उसका भांजा नवीन साहू उसका मौसाया ससुर पूरनलाल उसके नंद सुनिता उसके नंदोई कैलाश साहू उसे दहेज में मोटर साईकल नहीं देने के लिए ताना कसते हैं, ये भी बोलते थे कि दहेज में मायके से पचास हजार रुपये लेकर आवो नहीं तो सुरेन्द्र की हम दूसरी शादी करेंगे। सभी उसे मारते पीटते थे जिसे उसका चार बार गर्भपात हो गया उसे खाने पीने को भी ठीक से नहीं देते थे बीमार होने पर उसे इलाज नहीं करवाते थे उसके पति और सास ने उसके सारे जेवर उतार लिये और अपने पास रख लिये, फिर उसके पति ने उसे सात आठ बार मायके ले जाकर छिन्दवाड़ा मायके छोड़ा और बोला कि मोटर सायकिल और पचास हजार रुपये लेकर ही आना नहीं तो हम सुरेन्द्र की दूसरी शादी कर देंगे।

9— आगे इस गवाह ने यह भी बताया है कि यह सारी बातें उसने उसके पिता माताजी धरमचंद व लक्ष्मीबाई और उसके जीजा राधेश्याम को सारी बात बताई। इन्होंने उसे समझा बुझाकर साथ लेकर ससुराल भिजवाया। साथ लेकर गये तो उन्होंने उसे वहां पर उसे भी समझाया, उसके पति सास, नंद नंदोई सभी को समझाया कि वह अपनी हैसियत के हिसाब से सारा दहेज दे चुके वर्तमान हालात में नहीं है। फिर उसके भाई राजेश साहू उसे खेडली बाजार छोड़ने गये तो उसकी सास और उसके पति ने उसे कोरे स्टाम्प पर दस्तखत कराये तभी उसे अंदर आने दिया। 3 दिसम्बर 2006 को उसे मारपीट करने लगे सभी लोग मारपीट करने लगे और गाली देने लगे, फिर उन्होंने रात में बैठकर उसके काका ससुर को यहां पर प्लानिंग की फिर उसे पति ने उसे मायके छोड़ आये।

10— आगे इस गवाह ने अपने साक्ष्य में बताया है कि उसके मौसाया ससुर पूरन लाल साहू ने बोला कि मिटटी का तेल दे दो वह जल का मर जायेगी वह लोग सुरेन्द्र की दूसरी शादी कर देंगे। फिर उसके पति ने उसे छिन्दवाड़ा लाकर छोड़ दिया था और बोला कि बाद में ले जायेगा फिर एक हप्ते बाद उससे ससुराल से 8-15 लोग आये समझौता किया कि एक महीने बाद उसे लेकर जायेंगे। फिर उसके ससुराल से कोई नहीं आया उसने एक महीने तक रास्त देख उसके बाद उसने छिन्दवाड़ा के परिवार परामर्श केन्द्र में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जो प्र0पी0-1 है जो चार पृष्ठों में है जिसके ए से ए, बी से बी, सी से सी, डी से डी एवं ई से ई भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। वहां पर वह चार बार गई परन्तु उसका ससुराल से वहां पर कोई उपस्थित नहीं हुआ, फिर वह अपने पिताजी उसके जीजा राधेश्याम मोहल्ले के रामभरोस के साथ जाकर बोरदेही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई उसके द्वारा लेख कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-2 है जो तीन पृष्ठों में है जिसके ए से ए, बी से बी एवं सी से सी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके बयान लिये थे, वह वर्तमान में अपने पिताजी के यहां पर निवास कर रही हैं। उक्त साक्ष्य को प्रतिपरीक्षा में खंडन किया गया है।

11— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आरोपी से उसका राजीनामा हो गया है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि वह उसके पति के साथ नहीं रहना चाहती है वह तलाक चाहती है। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि वह शादी के बाद पति के साथ रहना नहीं चाहती थी

उसके परिवार वाले उसे जबरन ससुराल भेजते थे उसने उसके पति से कहा कि उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना है वह उसे जबरदस्ती रखना चाहते थे इस बात को लेकर उसका उसके पति से विवाद होता था। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने परेशान होकर आरोपीगण के विरुद्ध दहेज मांगने की शिकायत कर दी थी जिसकी रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज की थी।

12— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि शेष आरोपीगण ने उससे कभी भी दहेज की मांग नहीं की। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने दहेज में कभी मोटर साइकिल एवं 50 हजार रुपये व अन्य सामान नहीं मांगा। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि वह उसके पति से तलाक लेना चाहती है इसलिए उसने पुलिस में रिपोर्ट की थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि वह आरोपीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। इस प्रकार इस गवाह ने जो अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए हैं और प्रतिपरीक्षा में जो कथन किए हैं दोनों कथनों में विरोधाभास कथन किए हैं। फरियादी स्वयं के द्वारा यह स्वीकार करना कि वह आरोपीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है और आरोपीगण ने उसे दहेज की मांग नहीं की और न ही मोटर साइकिल एवं पचास हजार रुपये नहीं मांग की। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि आरोपीगण ने फरियादी को मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की और उससे दहेज में मोटर साइकिल एवं 50 हजार रुपये की मांग की।

13— अभियोजन साक्षी धरमचंद (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि विवाह के पश्चात् उसकी लडकी अपने ससुराल खेडली बाजार चली गई। 2-3 माह तक उसकी लडकी खेडली बाजार में अच्छे रही। उसके बाद सुरेन्द्र साहू ने और माता कौशल्या, ननद सुनिता साहू ने नंदोई कैलाश साहू उसे बार-बार प्रताड़ना देते थे, ये लोग सुरेन्द्र साहू, कौशल्याबाई उसकी लडकी रंजिता के साथ मारपीट करते थे, फिर बाद में सुरेन्द्र साहू, कौशल्या साहू ने उससे कहा कि पचास हजार रुपये और मोटर सायकल लेकर आइये तो आप खेडली बाजार आ सकते हैं नहीं तो नहीं आना। कौशल्या साहू से बात होती तो वह कहती थी कि उसे ले जाकर जाओ हम इसे रखना नहीं हैं। उन लोगों ने उसकी पुत्री का इलाज का खर्चा भी नहीं दिया उसके बाद 15 दिनों तक यह लोग उसकी पुत्री को लेने नहीं आये तो उसने स्वयं उसकी पुत्री का ससुराल खेडली बाजार पहुंचा दिया। पूरनलाल सुनिता और कैलाश साहू ने फिर से उसकी लडकी रंजिता साहू को प्रताड़ना देने लगे और कहने लगे कि पचास हजार रुपये एवं मोटर सायकल लेकर आओ तभी यहां पर रहना। उक्त साक्ष्य को प्रतिपरीक्षा में खंडन किया गया है।

14— इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा की कंडिका 14 में यह स्वीकार किया है कि रंजिता के बताने से ही उसने मोटर साइकिल और पचास हजार रुपये मांगने की बात बताई है। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि रंजिता ने कभी नहीं बताया कि किस व्यक्ति के सामने आरोपीगण ने उससे दहेज में मोटर साइकिल मांगने वाली बात या किसी के सामने प्रताड़ित करने वाली बात बोली। उक्त गवाह सुनी सुनाई बातें पर अपने कथन कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में इस गवाह के द्वारा किए गये कथन संदेहास्पद होकर विश्वसनीय नहीं माने जा सकते।

15— अभियोजन साक्षी रामभरोस (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि शादी के पश्चात रंजीता उसके ससुराल खेड़ली बाजार चली गई थी। 4 साल तक रंजीता खेड़ली बाजार में रही उसी बीच रंजीता के पिता ने उसे बताया कि रंजीता का पति सुरेन्द्र उसे मारता पीटता है खाने पीने को नहीं देता है तथा 50/- हजार रुपये एवं मोटर सायकल लाने को बोलता है इसलिए प्रताड़ित करता है 4 साल में रंजीता के 4 बच्चे हुए जो जीवित नहीं है क्योंकि सुरेन्द्र ने उनका इलाज नहीं करवाया जब भी रंजीता बीमार हुई सुरेन्द्र छिन्दवाड़ा ले जाकर छोड़ देते थे रंजीता के पिताजी इलाज करवाते थे। वर्ष 2005 में सुरेन्द्र ने रंजीता को उसके पिताजी के घर छोड़ दिया जिसके 15 दिन बाद 10-12 लोग खेड़ली बाजार से आये थे ओर कुछ छिन्दवाड़ा के थे सब लोग रंजीता के पिता के घर बैठे थे सब लोगों ने सुरेन्द्र को समझाया था कि तो सुरेन्द्र ने कहा था कि वह 15 दिन में रंजीता को ले जाऊंगा, लेकिन सुरेन्द्र नहीं आया और सुरेन्द्र ने मुलताई में नालीश कर दिया रंजीता ने उसे बताया था कि सुरेन्द्र 50/- हजार रुपये एवं मोटर सायकल के लिए प्रताड़ित कर रहे है रंजीता ने यह भी बताया था कि बाकी रिस्तेदार भी प्रताड़ित भी करते है काका, मोसिया, सार बहनोई ये लोग प्रताड़ित करते है। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से खंडन किया गया है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा में बताया है कि उसके सामने कभी कोई लड़ाई झगड़ा दहेज का विवाद या दहेज की मांग आरोपीगण ने नहीं की थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उसके सामने कभी दहेज की मांग नहीं की। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की और फरियादी से दहेज में मोटर साईकिल और पचास हजार रुपयों की मांग की।

16— अभियोजन साक्षी राधेश्याम साहू (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि रंजीता उसके ससुराल में 2-3 माह तक अच्छे से रही उसके बाद रंजीता एवं उसके ससुराल वालों के बीच कहा सुनी की खबर रंजीता के पिताजी के द्वारा दी गई फिर उसके बाद 3-4 साल तक ऐसा चलता रहा रंजीता ने बाद में बतलाई कि उसका पितदेव मां के कहने पर झगड़ा और मारापीटी करता है और कमरे में बंद कर देता है। रंजीता ने यह भी बताया कि सुरेन्द्र उसे 50 हजार रुपये एवं मोटर सायकिल दहेज में मांगता है। रंजीता ने यह भी बताया कि बाकी आरोपीगण भी झगड़ा में सहयोग भी करते है वर्ष 2006 में रंजीता को सुरेन्द्र ने लाकर छिन्दवाड़ा में उसके मायके में लाकर छोड़ दिया था। 2-3 महिने तक सुरेन्द्र वगैरह की रास्ते देख फिर सुरेन्द्र वगैरह 10-15 लोगों रंजीता के मायके आये उस दिन भी रंजीता के मायके में भी था और दोनों पक्षों में समझौता की बात हुई सुरेन्द्र वगैरह बोले कि वह बाद में आकर ले जायेंगे। उक्त गवाह को बचाव पक्ष की ओर से खंडन किया गया है।

17— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि उसके सामने आरोपीगण ने कोई दहेज की मांग नहीं की। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि वह केवल सुनी सुनाई बात बता रहा है उसे व्यक्तिगत इस प्रकरण के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की और फरियादी से दहेज में मोटर साईकिल और पचास हजार रुपयों की मांग की।

18— अभियोजन साक्षी एस0डी0 राजपूत (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि

उक्त दिनांक को श्रीमति रंजीता साहू ने थाना पर आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपीगण सुरेन्द्र, कौशल्याबाई, पूरन, पतिराम, कैलाश, और सुनीता के विरुद्ध कराई था जिस पर उसने अपराध क्रं0-137/07 अंतर्गत धारा 498ए भा0द0वि0 तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की लेखबद्ध की थी जो प्र0पी0-2 है जिसके बी से बी भाग में उसके हस्ताक्षर हैं। यह गवाह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। इस गवाह ने घटना होते हुये नहीं देखा है। फरियादी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में इस गवाह के द्वारा लिखी गई प्र0पी0 02 की रिपोर्ट महत्वहीन हो जाती है।

19— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी को शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता की। उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी से दहेज में मोटर साईकिल एवं 50 हजार रुपये की मांग की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1, 2 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

20— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी से दहेज में मोटर साईकिल एवं 50 हजार रुपये की मांग की। इस प्रकार अभियुक्तगण सुरेन्द्र, पतिराम, कैलाश, कौशल्याबाई, सुनीताबाई को भा0द0वि0 की धारा-498 “ए” एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-3/4 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

21— अभियुक्तगण के धारा-313 द0प्र0स0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

22— प्रकरण में सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0